केंद्रीय बजट

//

Drishti IAS

केंद्रीय बजट

एक वित्त वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण

अनुच्छेद 112 (भाग V)

- भारत का राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता है।

> भारत के संविधान में कहीं भी 'बजट' शब्द का उल्लेख नहीं है

बजट तैयार करने हेतु नोडल निकाय

- बजट प्रभाग (आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय) नीति आयोग और संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से

> स्वतंत्र भारत का पहला बजट वर्ष 1947 में प्रस्तुत किया गया था।

बजट के प्रमुख घटक

- राजस्व और पूंजी प्राप्तियों का अनुमान
- राजस्व बढ़ाने के तरीके और साधन
- व्यय अनुमान
- समाप्त हो रहे वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्तियाँ/व्यय (+कमी/अधिशेष)
- आने वाले वित्तीय वर्ष की आर्थिक और वित्तीय नीति

> वर्ष 2017 तक, भारत सरकार द्वारा 2 बजट पारित किये जाते थे- रेल बजट और आम बजट

बजट के चरण

- प्रस्तुति
- आम चर्चा
- विभागीय समितियों द्वारा जाँच
- अनुदान मांगों पर मतदान
- विनियोग विधेयक पारित करना
- वित्त विधेयक पारित करना

भारत का संविधान बजट के लिये अन्य कौन-से प्रावधान करता है ?

- राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना:
  - अनुदान की मांग नहीं की जा सकती
  - करारोपण वाला कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है
- कानून द्वारा किये गए विनियोग के अलावा भारत की संचित निधि से कोई धन नहीं निकाला जा सकता
- संसद की भूमिका:
  - धन/वित्त विधेयक (कराधान को शामिल करते हुए) - केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है
  - अनुदान की मांग पर मतदान - राज्यसभा के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है।
  - धन/वित्त विधेयक - 14 दिनों के भीतर राज्यसभा द्वारा लोकसभा को वापिस भेज दिया जाता है।
    - ◆ लोकसभा, राज्यसभा द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकृत/असीकृत कर सकता है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/union-budget-4